

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा निष्पादित आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों और उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किए गए हैं।
2. इस प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों से संबंधित 14 पृथक अभ्युक्तियां शामिल हैं। ड्राफ्ट अभ्युक्तियों को संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया था ताकि उन्हें प्रत्येक मामले में छः सप्ताह की अवधि में अपने उत्तर/टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिले। जब इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा था तब तक छः अभ्युक्तियों पर उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जैसे कि निम्नलिखित पैरा 3 में दर्शाया गया है।
3. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों और उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
1.	कारपोरेट कार्य	1	-
2.	वाणिज्य एवं उद्यम	1	-
3.	आवासन और शहरी कार्य	4	4
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2	-
5.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	3	2
6.	विद्युत	1	-
7.	पर्यटन	2	-
	कुल	14	6

II इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) ने एक एंड टू एंड ई-गवर्नेंस कार्यक्रम एमसीए21 परियोजना शुरू की थी जिसमें एक सुरक्षित संवादात्मक पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, कंपनियों के पंजीकरण और कारपोरेट सूचना तक सार्वजनिक ओनलाइन पहुँच की परिकल्पना की गई है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित निगमों के सभी पहलू, सांविधिक फाइलिंग और कंपनियों का नियमन शामिल है। एमसीए21 में लगभग 100 ई-फार्म शामिल हैं ताकि पणधारकों को अपेक्षित सूचना भरने में सक्षम बनाया जा सके।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में आरंभ में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अनुप्रयोग नियंत्रणों के मूल्यांकन और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रभावकारिता को कवर करना अभिप्रेत था। परन्तु सूचना/डेटा/उत्तर देने में मंत्रालय के विलम्ब और अपर्याप्त समर्थन के कारण, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र 10 ई-फार्म तक सीमित था। घटे हुए कार्यक्षेत्र को भी मूर्तरूप नहीं दिया जा सका और लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र वस्तुतः एक ई-फार्म यथा कम्पनी के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (एसपीआईसीई) तक रहा, जोकि एक कम्पनी के निगमन से संबंधित है। तथापि इस ई-फार्म के संबंध में पूर्ण डेटा तक अभिगम और उत्तर तथा प्रत्युत्तर में विलम्ब के मुद्दे लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान जारी रहे। इस प्रकार लेखापरीक्षा पूर्णरूप से एमसीए21 प्रणाली की प्रभावोत्पादकता के बारे में आश्वासन प्रदान करने में असमर्थ रही। संक्षेप में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार थीं:

- विविध निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन को प्रणाली पहचान नहीं सकी चूँकि 6,78,161 अभिलेख डेटाबेस में पाए गए जहां 2,33,898 स्थायी खाता संख्याओं (पैन) को एक से अधिक डीआईएन आवंटित था। विविध डीआईएन से सम्बन्धित मुद्दे को उस फार्म डीआईआर-3 केवाईसी के प्रारंभ करने के बाद भी पूर्णतया नियत नहीं किया जा सका जहां एक व्यक्ति के केवल एक डीआईएन का केवाईसी-सत्यापन किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त कम्पनी पंजीयक को सावधान करने के लिए

प्रणाली में कोई सचेतक (रैड फ्लैग) नहीं था जिससे ऐसे मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। एमसीए21 के पास अपने डेटाबेस में इस त्रुटि का स्वतः पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

- डीआईएन के आवंटन में कतिपय आईडी फील्ड का अनिवार्य रूप से भरा जाना आवश्यक था। डीआईएन आवंटन के संबंध में वैधीकरण जांचों के अभाव के कारण अनिवार्य डेटा इनपुट के अभाव में भी डीआईएन के आवंटन का अनुमोदन किया गया।
- 2,127 मामलों के संबंध में, डीआईएन की 'प्रारंभ की तारीख' अर्थात् डीआईएन के अनुमोदन की तारीख 'शून्य' अथवा 'खाली' दर्शायी गयी थी। इसके कारण लेखापरीक्षा में यह जांच नहीं की जा सकी कि क्या एक व्यक्ति को उसके पहले डीआईएन के प्रयोग के बाद भी उसे दूसरा/डुप्लीकेट डीआईएन आवंटित किया गया था।
- प्रणाली में वैधीकरणों के अभाव के कारण व्यक्तियों ने अनुज्ञेय सीमा से आगे डायरेक्टरशिप धारित की जिससे कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,626 व्यक्तियों ने एक ही समय में 20 से अधिक कम्पनियों में डायरेक्टरशिप धारित की। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उपचारी कार्रवाई करने के लिए कम्पनी पंजीयक को समर्थ बनाने हेतु ऐसे मामलों का पता लगाने और फ्लैग करने के लिए एमसीए21 में कोई सिस्टम डिजाइन इनबिल्ट नहीं था।
- प्रणाली में पर्याप्त जांच नहीं रखी गयी थी जिससे डेटाबेस में उन कम्पनियों का स्वतः पता लगाया जा सके जिनमें न्यूनतम आवश्यकता से कम निदेशक हों अथवा जो किसी कार्यकारी निदेशक के बिना हों। अधिनियम के अंतर्गत उपचारी कार्रवाई करने के लिए कम्पनी पंजीयक को समर्थ बनाने हेतु ऐसे मामलों का पता लगाने और फ्लैग करने के लिए एमसीए21 में कोई सिस्टम डिजाइन इनबिल्ट नहीं था।
- डेटा का संग्रहण करने के लिए प्रयोग में लाए गए फार्मों में त्रुटियों और प्रणाली में अपर्याप्त इनपुट नियंत्रणों के कारण, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनियों के 20,08,456 अभिलेखों में से 8,53,254 कम्पनियों के संबंध में पैन डेटाबेस में खाली

थे। इनमें से 1,37,602 कम्पनियां सक्रिय पायी गयी। इसके अतिरिक्त 2,805 कम्पनियों के मामले में, डेटाबेस में उल्लिखित पैन एक कम्पनी की बजाय एक व्यक्ति से संबंधित था।

- विश्लेषण से पता चला कि 11,830 मामले ऐसे थे जहां दो या अधिक कम्पनियां एक ही नाम वाली थीं और 1,165 मामलों में एक ही नाम वाली कम्पनियां सक्रिय पाई गई थीं जो कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में था। प्रणाली में वैधीकरण के अभाव के कारण दो या अधिक कम्पनियों को एक जैसा या समान नाम आवंटित किया गया।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों के डेटा विश्लेषण से पता चला कि 8,159 कम्पनियों के मामले में लाइसेंस संख्या "000000" पाई गई। इनमें से 7,987 कम्पनियां प्रास्थिति में सक्रिय पायी गयीं।
- कम्पनी अधिनियम और रिज़र्व यूनिक नेम (आरयूएन), एक वेब आधारित अनुप्रयोग, के लिए सिस्टम रिकवायरमेंट स्पेसिफिकेशन डाकुमेंट के अनुसार, कम्पनी के पंजीकरण से पहले इसका आरक्षित नाम एक नयी कम्पनी के लिए नाम के आरक्षण की स्थिति में अनुमोदन की तारीख से 20 दिनों और एक मौजूदा कम्पनी के नाम में परिवर्तन के लिए 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। विश्लेषण से पता चला कि 15,831 मामलों में आरक्षित नाम समाप्त नहीं हुए, जबकि कम्पनियों के निगमन के लिए आवेदन 22 दिन से 394 दिन बाद दाखिल किए गए थे। आरक्षित नाम को इसकी वैद्यता अवधि के बाद समाप्त के रूप में चिन्हित करने के कार्य के अभाव के कारण, नाम की वैद्यता की समाप्ति के बाद भी पूर्ववर्ती आरक्षित नाम के साथ कम्पनी के निगमन के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रणाली में अनुमत की गयी।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा में सिफारिश की गयी है कि:

1. **आवश्यक इनपुट नियंत्रण लागू किए जा सकते हैं ताकि एक स्थायी खाता संख्या के प्रति एक से अधिक निदेशक पहचान संख्या जारी करने जैसे मामले उत्पन्न न हों।**

2. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त जाँच बिंदु बनाये जाने चाहिए कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड या तो संबंधित आवेदक कंपनी द्वारा भरे गए हैं या उन्हें किसी अन्य ई-फॉर्म में कैप्चर कर ऑटो-पॉप्युलेट किया जाना चाहिए।
3. संबंधित प्राधिकरण को रेड फ्लैग/चेतावनी सृजित करने के लिए सिस्टम में आवश्यक सत्यापन जांच बनाना चाहिए, जहां इनपुट डाटा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।
4. मंत्रालय उचित व्यवसाय प्रक्रिया की पुनर्रचना पर विचार कर सकता है ताकि कई बिन्दुओं से उत्पन्न होने वाली डेटा प्रविष्टि/कैप्चर में अशुद्धि के जोखिम को कम किया जा सके।
5. मंत्रालय अन्य सभी ई-फार्मों में डाटा की जांच और सत्यापन पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि साफ्टवेयर में डाटा की त्रुटियों से होने वाले जोखिम से बचने के लिए अपेक्षित सत्यापन जांच शामिल की गई है।

(पैरा 2.1)

देश में रबड़ उद्योग के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ रबड़ बोर्ड (बोर्ड) स्थापित किया गया। भारत में रबड़ की खेती का समग्र क्षेत्र मार्च 2011 से मार्च 2020 तक 7.11 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 8.22 लाख हैक्टेयर हो गया। तथापि अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 3.65 प्रतिशत से गिरकर 0.04 प्रतिशत रह गयी। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन भी अधिकांशतः 2010-11 से 2019-20 की अवधि के दौरान गिरती हुई प्रवृत्ति में रहा। यह क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त रोपण आर्थिक सहायता के जारी नहीं करने के कारण था क्योंकि बोर्ड द्वारा प्राप्त अधिकांश अनुदानों को गैर-योजनागत कार्यकलापों पर खर्च किया गया था। रबड़ बोर्ड के पास रबड़ के उत्पादकों का डेटा नहीं था और केरल में अंतिम सघन क्षेत्रीय सर्वेक्षण बोर्ड द्वारा केवल 2002 में किया गया था। रबड़ उत्पादक समितियों को पर्याप्त रूप से प्रोन्नत करने में भी बोर्ड विफल रहा और रबड़ की पैदावार का केवल 39.18 प्रतिशत क्षेत्र कवर किया गया। इसके अतिरिक्त लेटेक्स से क्वालिटी रबड़ की शीटों के उत्पादन के लिए बोर्ड द्वारा प्रोन्नत 122 गुप प्रोसेसिंग सेंटर कार्य नहीं कर रहे थे। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में बोर्ड के साथ केरल सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना को प्रभावी रूप से

कार्यान्वित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप दोहरे भुगतान हुए, रबड़ के डीलरों द्वारा घोषित रिटर्नों में बिक्री की मात्रा और रबड़ के उत्पादकों को जारी बिलों में बीजक मात्रा के बीच विसंगतियां रहीं। बोर्ड द्वारा प्रोन्नत रबर/रबर-वुड प्रोसेसिंग कम्पनियों को उपलब्ध कराए गए ₹17.83 करोड़ की राशि के कर्जों की वसूली की इन कम्पनियों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण संभावना कम थी। बोर्ड द्वारा कार्यान्वित श्रम कल्याण योजनाओं की कवरेज कम थी क्योंकि रबड़ बागान में लगे हुए 4.51 लाख कामगारों के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान योजनाओं से केवल 2.1 लाख कामगार लाभान्वित हुए थे।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा में सिफारिश की गयी है कि:

- 1. बोर्ड पूर्वोत्तर/अन्य गैर पारम्परिक क्षेत्रों में पौधारोपण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दोहन को प्रोत्साहित और महत्वपूर्ण इनपुट आपूर्ति जैसी उत्पादकता वृद्धि योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा प्रभावी उपाय करे।**
- 2. बोर्ड एक सूचना, शिक्षा और संचार नीति तैयार करे ताकि व्यवस्थित रूप से पालन की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं और लागू योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके।**
- 3. बोर्ड को रबड़ उत्पादक समितियों की भूमिका, गतिविधियों और रबड़ उत्पादकों को इनके लाभों के व्यापक प्रचार हेतु विस्तार विंग के माध्यम से पर्याप्त प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए।**
- 4. बोर्ड को प्रत्येक रबड़ उत्पादक सोसायटी द्वारा की जाने वाली विस्तार गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करके रबड़ उत्पादक समितियों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना चाहिए और निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि की निगरानी भी करनी चाहिए।**
- 5. बोर्ड को रबड़ उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए या तो जनगणना द्वारा या आवधिक प्रतिवेदन की प्रणाली द्वारा वृक्षारोपण के कुल क्षेत्रफल, उत्पादकों की संख्या, दोहकों की उपलब्धता आदि को अपने डेटाबेस में अद्यतन करना चाहिए।**

6. बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए कि बोर्ड द्वारा झूठे/धोखाधड़ीपूर्ण बीजकों के लिए सब्सिडी भुगतान की सिफारिश नहीं की जाए। बोर्ड अपात्र सब्सिडी भुगतान के मामलों की जांच के लिए भी कदम उठा सकता है क्योंकि ये भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी का संकेत देते हैं और तदनुसार जिम्मेदारी तय की जाए।
7. रबड़ उत्पादन और श्रम कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के लिए निधि उपयोग में वृद्धि सुनिश्चित करने के माध्यम से योजनाओं के लाभों के विस्तार हेतु बोर्ड द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 3.1)

सामान्य पूल निवासी आवास के आवंटियों से की जाने वाली जल प्रभारों की वसूली की दर का निर्धारण कार्यकारी अभियंता (लाइसेंस फीस), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यू डिवीजन में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए गए जल के प्रति सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आवंटियों से वसूली की गयी राशि की तुलना में अधिक भुगतान किया जा रहा था। यह व्यक्तिगत पानी के मीटरों का प्रतिष्ठापन न करने और पिछले 13 से 25 वर्षों से जल प्रभारों की वसूली के लिए दरों का संशोधन न करने के कारण था। इसके परिणामस्वरूप सीपीडब्ल्यूडी पर ₹63.69 करोड़ का वित्तीय भार पड़ा।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्ष के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा सिफारिश की गयी है कि जल के प्रभार की दरें समय-समय पर संशोधित करने और सभी बकाया राशियों की आवंटियों से समय पर/ समयबद्ध तरीके से वसूली को सुनिश्चित करने के लिए एक सुपरिभाषित तंत्र को संस्थागत बनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

(पैरा 4.1)

दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने जाली टिकटों और तथ्यों की गलत बयानी के द्वारा वास्तविक हवाई यात्रा भुगतान की तुलना में अधिक राशि का दावा किया। लेखापरीक्षा में बताए जाने पर ₹8.19 लाख के ऐसे कपटपूर्ण दावों की प्रतिपूर्ति राशि के प्रति ₹9.69 लाख की वसूली हुई।

(पैरा 4.4)

अप्रैल 2012 से मार्च 2020 तक आठ वर्षों को कवर करते हुए प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (एटीआई) योजना की लेखापरीक्षा उस सीमा की जांच करने के लिए की गयी थी जिस तक योजना के उद्देश्य प्राप्त हुए। योजना पर संक्षेप में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- एटीआई योजना का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वदेशी उद्यमिता का विकास करना था। योजना के लिए मंत्रालय अथवा स्क्रीनिंग कमिटी ने उद्यमिता के विकास के लिए कौशल की अपेक्षाओं का निर्धारण नहीं किया। इसने आवेदक प्रशिक्षण संस्थाओं की दक्षता, सक्षमता और अनुभव की न तो जाँच की और न ही जांचने के लिए कोई मापदंड बनाये तथा उनके संसाधनों और क्षमताओं के अननुपात में उनको प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए।
- मंत्रालय की संस्वीकृतियों के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के किसी भी भाग की आउटसोर्सिंग प्रतिबंधित थी। तथापि दो प्रशिक्षण संस्थानों नामतः राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नौएडा और राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद ने अपने कार्यक्रम अधिकांशतः प्राइवेट एजेंसियों को आउटसोर्स किए। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आउटसोर्सिंग में कई अनियमितताएं देखी गयी थीं।
- एनआईएमएसएमई और एनआईईएसबीयूडी ने अपने उपयोग प्रमाणपत्रों में अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज के क्रमशः ₹1.27 करोड़ और ₹2.78 करोड़ की राशि के अव्ययित शेष को घोषित नहीं किया। इस प्रकार ₹4.05 करोड़ की राशि के अव्ययित शेष को दो संस्थाओं द्वारा मंत्रालय से छिपाया गया था।
- मंत्रालय और संस्थाओं के स्तर पर योजना का पर्यवेक्षण और मानीटरिंग अपर्याप्त थी। रोजगार के सृजन और इस योजना के कारण उद्यम विकास के डेटा के अभिग्रहण के लिए मंत्रालय स्तर पर कोई ठोस तंत्र नहीं था। मंत्रालय ने बताया कि संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के कारण रोजगार सृजन 36 प्रतिशत की सीमा तक था जिस पर साक्ष्य के अभाव में विश्वास नहीं किया जा सकता था।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा में सिफारिश की गयी है कि:

1. किसी कार्यक्रम को मंजूरी देने से पहले, स्क्रीनिंग कमेटी की संस्था को पुनर्गठन करने की आवश्यकता है और इसके अपनाने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है।
2. मंत्रालय को निर्धारित और आवश्यक प्रत्येक प्रकार के कौशल सेटों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के आवश्यक न्यूनतम स्तरों को लागू करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
3. मंत्रालय को मंत्रालय/संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं की आजीविका की स्थिति के निर्धारण के लिए एक तंत्र बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
4. मंत्रालय, गुणवत्ता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और शामिल एजेंसियों का ई-केवाईसी सत्यापन शुरू करने पर विचार कर सकता है।
5. इस प्रतिवेदन में उजागर अनियमितताओं/खामियों की जांच की जाए और ऐसी खामियों के लिए संबंधित अधिकारियों/संस्थानों की जिम्मेदारी मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाए।
6. योजना के दिशा-निर्देशों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे पर्याप्त विस्तृत निर्देश दिए जा सकें कि उद्यमिता या रोजगार के माध्यम से प्रशिक्षण को आजीविका में बदलने और चरणों में इसे प्राप्त करने के उद्देश्यों को कैसे तर्कसंगत बनाया जाए।

(पैरा 5.1)

सूक्ष्म और लघु उद्यम-समूह विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में फ्लाइंग ऐश क्लस्टर में एक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2011)। एमएसएमई डिवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नागपुर, परियोजना की प्रगति के समन्वयन और निगरानी करने के लिए शीर्ष निकाय था। सामान्य सुविधा केन्द्र को फ्लाइंग ऐश यूनिटों को लाभ पहुंचाना, समूह कुल बिक्री में वृद्धि करना और रोजगार का सृजन करना था।

तथापि परियोजना की अनुपयुक्त आयोजना और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ये उद्देश्य पूरे नहीं हुए और ₹8.89 करोड़ का व्यय अलाभप्रद रहा जिसमें ₹5.67 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान शामिल था।

(पैरा 5.2)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (पोर्ट) ने मैसर्ज एयर कंडीशनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ समामेलित हो गयी (अप्रैल 2008), को भूमि का दीर्घावधि पट्टा दिया (मई 1978)। पोर्ट ने एक बेदखली नोटिस जारी करने के बाद (जुलाई 2005) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यक्तियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी के समक्ष एक शिकायत फाईल की जो अनधिकृत निर्माण, पोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना भूमि को आगे किराए पर देने और सम्पदा किराए के अनियमित भुगतान के लिए ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के विरुद्ध बेदखली के लिए थी। ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के विरुद्ध बेदखली का आदेश जुलाई 2017 में पारित किया गया। इसके बाद ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने जून 2012 से अगस्त 2012 और अगस्त 2016 से जून 2017 तक की अवधि के दौरान पोर्ट को प्रदत्त ₹1.12 करोड़ की राशि के वर्धित क्षतिपूर्ति प्रभारों की प्रतिदाय की शर्त पर अधिगृहीत भूमि को अभ्यर्पित करने का प्रस्ताव किया। पोर्ट ने ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का प्रस्ताव स्वीकार किया। प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना सम्पदा अधिकारी के बेदखली आदेश के अनुरूप नहीं था। पोर्ट ने भूमि नीति दिशा निर्देशों के प्रावधानों में दिए गए पट्टा किराए के तीन गुना पर अनधिकृत कब्जे के लिए क्षतिपूर्ति प्रभार नहीं लगाये। यह भी बेदखली आदेश के उल्लंघन में था। इस प्रकार क्षतिपूर्ति प्रभारों को निम्नतर दर पर लगाने और बेदखली आदेश का अननुपालन करके एक प्राइवेट पार्टी को ₹7.66 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(पैरा 6.1)

विद्युत प्रणाली विकास निधि एक सार्वजनिक निधि होती है और विद्युत मंत्रालय के अधीन लोक लेखा में इसका रखरखाव किया जाता है। नैशनल लोड डिसपेच सेंटर (एनएलडीसी), पॉवर सिस्टम आपरेशन कॉरपोरेशन की एक इकाई, को विद्युत प्रणाली

विकास निधि का सचिवालय कार्य करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नेशनल लोड डिस्पेच सेंटर ने 2018-19 के लिए अनुमोदित विद्युत प्रणाली विकास निधियन परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए ₹5,505.61 करोड़ की निधि की आवश्यकता के लिए विद्युत मंत्रालय को सूचित किया (दिसम्बर 2018)। नेशनल लोड डिस्पेच सेंटर ने आगे सुझाव दिया (4 फरवरी 2019) कि निधियों के निष्क्रिय होने से बचने के लिए निधियों की उगाही चरणबद्ध तरीके में की जा सकती है। विद्युत मंत्रालय ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधियों की उगाही की (मार्च 2019) परन्तु नेशनल लोड डिस्पेच सेंटर की सूचनाओं का संज्ञान नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज की निम्नतर दर पर ₹1,018.12 करोड़ की अप्रयुक्त निधि का परिहार्य सृजन और निष्क्रियता हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹11.17 करोड़ तक सार्वजनिक राजकोष को हानि हुई।

(पैरा 7.1)

